न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 55 / 2025(GCMS 2025/299)
(RTI No.)

श्री विनस पुरी निवासी 2 केएएम, 4 केएसएम बाण्डा, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर (मोबाईल नम्बर 9351925060) E-mail ID vinas.puri@gmail.com **वर्तमान पता :- Vinas puri** House no. 1420, Main Road, Mukherjee Nagar, Delhi Pin Code

बनाम

निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, रायसिंहनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

18.08.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, रायसिंहनगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत दिनांक 08.02.2025 को आवेदन प्रस्तुत कर तीन बिन्दुओं की सूचना चाही थी जो निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, रायसिंहनगर ने उन्हें समय पर उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, रायसिंहनगर से सूचना वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री विनस पुरी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 08.02.2025 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न तीन बिन्दुओं की सूचना चाही थी :

1. मेरे विधानसभा क्षेत्र में पिछले 1 वर्ष में कितने नए मतदाताओं (form-6) ने आवेदन किया है तथा कितने मतदाताओं ने अपने वोटर आईडी कार्ड में सुधार (form-8) के लिए आवेदन किया है।
2. उपरोक्त आवेदकों में से कितने को समय सीमा के भीतर उनके भौतिक मतदाता पहचान पत्र डाक द्वारा प्राप्त हुए है? और जिनको समय सीमा के अंदर प्राप्त नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए है।
3. फिजिकल वोटर आईडी कार्ड प्रिंट करवाकर नागरिकों तक पहुंचाने का कार्य किस अधिकारी का है? और नागरिक के आवेदन सफलता पूर्वक स्वीकार करने के बाद फिजिकल वोटर आईडी कार्ड कहां और कितने दिनों में प्रिंट होते है?

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:49:09 IST
Reason: SelfAttested

निर्वाचक पंजीयन अधिकारी एवं एसडीएम रायसिंहनगर ने अपने पत्रांक आरटीआई / 2025 / 248 दिनांक 01.08.2025 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है:

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना का अधिकार संख्या 55/2025
(GCMS No. 2025/299)

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सम्बंध में श्रीमान केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय नई दिल्ली के पत्र दिनांक 17.06.2025, श्रीमान मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान सरकार के पत्रांक 27.06.2025 के सन्दर्भ में श्रीमान जिला कलक्टर महोदय श्रीगंगानगर के प्रासंगिक पत्र के साथ आप द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत सूचना बाबत ऑनलाईन आवेदन (रजि क्रमांक 20084) की पूर्व में निर्धारित अवधि में सूचना न दिये जाने पर प्रथम अपील अधिकारी के समक्ष की गई अपील की पालना हेतु पत्र इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है. उक्त मूल आवेदन इस कार्यालय को आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय श्रीगंगानगर के कार्यालय से प्राप्त आवेदन में जिन बिन्दुओं पर सूचना देने हेतु निर्देश प्राप्त हुए है. उनका बिन्दुवार प्रतिस्तर निम्न प्रकार है–

1. **आवेदक द्वारा पूछा गया है कि मतदाता सूची में नाम सम्मलित करयाने हेतु एक वर्ष में कितने आवेदन प्राप्त हुए?**

आवेदक द्वारा 08.2.2025 को आवेदन किया गया है, इस आधार पर दिनांक 09.02.2024 से 08.02.2025 तक 1 वर्ष की अवधि में रायसिंहनगर विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची में नाम सम्मलित करवाने हेतु कुल 15202 प्रारूप 6 प्राप्त हुए है।

2. **आवेदक द्वारा पूछा गया है कि मतदाता सूची में नाम शुद्धिकरण/संशोधन हेतु एक वर्ष में कितने आवेदन प्राप्त हुए संशोधित ईपीक मंगवाने हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए ?**

आवेदक द्वारा 8.2.2025 को आवेदन किया गया है, इस आधार पर दिनांक 09.02.2024 से 08.02.2025 तक 1 वर्ष की अवधि में रायसिंहनगर विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची में नाम शुद्धिकरण हेतु फुल 6398 प्ररूप–8 प्राप्त हुए, संशोधित मतदाता पहचान पत्र मंगवाने हेतु कुल 685 प्रारूप–8 प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 625 आवेदन स्वीकार कर संशोधित मतदाता पहचान पत्र तैयार करने हेतु डाटा अनुबंधित फर्म को भिजवाया गया था।

3. **इस अवधि में कितने संशोधित मतदाता पहचान पत्र प्राप्त हुए, कहां व कितने दिनों में प्रिन्ट होते हैं ?**

विभाग द्वारा समय–समय पर निविदा आमंत्रित कर [illegible] फर्म से मतदाता पत्रचान पत्र प्रिन्ट [illegible] अवधि में आवेदन स्वीकार होने पर 15 दिवस की अवधि में मतद[illegible] पहचान पत्र प्रिन्ट करवाये जाने का प्रावधान है। नये मतदाता पहचान पत्र व संशोधित

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:29:09 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

> मतदाता पहचान पत्र एक साथ प्रिन्ट होकर आते हैं, अतः कार्यालय स्तर पर ऐसा कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है कि समय विशेष अवधि में मूल मतदाता पहचान पत्र व संशोधित मतदाता पहचान पत्र अलग अलग, कितनी कितनी संख्या में प्राप्त हुए। जो भी पहचान पत्र प्राप्त होते हैं, उन्हें तुरन्त स्पीड पोस्ट के माध्यम से मतदाताओं को वितरित करवा दिया जाता है।
>
> आवेदन पत्र में अंकित बिन्दुओं पर चाही गई सूचना उक्तानुसार प्रेषित है, फिर भी आवेदक चाहे तो कार्यालय समयावधि में उपस्थित होकर कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन कर सकता है।

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर ने अपने पत्रांक 248 दिनांक 01.08.2025 से अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब दिया है। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत दिनांक 08.02.2025 को आवेदन प्रस्तत किया था, जिसकी सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 01.08.2025 को उपलब्ध करवाई गई है, जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थी को 30 दिवस में सूचना उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। **अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना समय पर उपलब्ध न करवाना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रति आपकी असंवेदनशीलता, उदासीनता एवं लापरवाही को दर्शाता है। भविष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थी को समय पर सूचना उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें** । चूंकि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई जा चुकी है, इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज की जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर को आदेशित किया जाता है कि निर्णय प्राप्त होने के 7 दिवस में अपीलार्थी के Emial ID vinas.puri@gmail.com पर, वांछित बिन्दुवार सूचना, जो आपके कार्यालय में उपलब्ध है, अधिप्रमाणित, हस्ताक्षरित कर अपीलाथी को पुनः प्रेषित की जावे। आदेश की प्रति **उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर** को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 18.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.10.14 17:29:09 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मन्जू)

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर